नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पत्र संख्या–एक / 970 / विशाखा / कमेटी / 24, लखनऊः दिनांक 19 अगस्त, 2025

कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 26.10.2020 एवं महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 20.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–एक / 445 / निदे0अधिष्ठान / महि0शक्ति / 2020–21, दिनांक 18.09.2024 द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है।

समिति में नामित सदस्य श्रीमती विजेता, उपनिदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ का अन्यंत्र स्थानान्तरण हो जाने एवं श्री अजय कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक निदेशक का शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन में उपनिदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर पदासीन हो जाने के दृष्टिगत पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 18.09.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है:–

1–	श्रीमती ऋतु सुहास, अपर निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	–	अध्यक्ष
2–	उपनिदेशक (पदेन) नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	–	सदस्य
3–	श्री मोहम्मद असलम, सहायक निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	–	सदस्य
4–	श्रीमती सविता शुक्ला, सहायक निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0	–	सदस्य
5–	सुश्री शालिनी सिद्दकी, जनरल सेकेट्री, आंचल वूमेन वेलफेयर सोसायटी	–	सदस्य

निदेशक महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–सी–885 / निदे0म0क0 / SHe-Box / अनुदान / 2025–26, दिनांक 24.07.2025 में की गयी अपेक्षानुसार श्रीमती सविता शुक्ला, सहायक निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला कल्याण अनुभाग–3, लखनऊ।
3– निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
4– संबंधित सदस्यों को अनुपालनार्थ।
5– नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।